

**Date: January 3, 2026**

<b>BSE Limited</b> 1st Floor, New Trading Wing, Rotunda Building Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort Mumbai – 400001 <a href="mailto:corp.relations@bseindia.com">corp.relations@bseindia.com</a>  <b>SCRIP Code- 544133</b>	<b>National Stock Exchange of India Limited</b> Exchange Plaza, 5th Floor, C – 1, Block G Bandra – Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai – 400051  <a href="mailto:cmlist@nse.co.in">cmlist@nse.co.in</a>  <b>Symbol-EXICOM</b>
--	--

**Ref: Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended (“SEBI Listing Regulations”)**

**Subject: Intimation of Newspaper Advertisement- Postal Ballot Notice of Exicom Tele-Systems Limited (“the Company”)**

Dear Sir/Madam,

Further to our Intimation dated January 2, 2026, regarding the Postal Ballot Notice of the Company, and pursuant to Regulation 30 of the SEBI Listing Regulations, please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisements published on January 3, 2026, in respect of the Postal Ballot Notice of the Company, in the following newspapers:

- a. Business Standard, Chandigarh Edition (Copy attached)
- b. Hind Janpath, Solan (Copy attached)

The aforesaid newspaper advertisements have also been made available on the website of the Company at <https://www.exicom.com>.

This is for your information and records.

Thanking You.

Yours faithfully,

**For Exicom Tele-Systems Limited**

**Sangeeta Karnatak**  
Company Secretary & Compliance Officer

**Enclosed: As above**

---

[www.exicom.com](http://www.exicom.com)

Registered Office Address : 8 Electronics Complex, Chambaghat, Solan - 173 213 (H.P.)

Corporate Identification Number: L64203HP1994PLC014541 | E-mail: [contact@exicom.in](mailto:contact@exicom.in) | Tel. No.: 01792-230948





## लाडो लक्ष्मी योजना से सरकार का विश्वासघात, महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं: कुमारी सैलजा

● 80 प्रतिशत अंकों की शर्त लगाना गरीब, मजदूर और ग्रामीण महिलाओं के साथ अन्याय ● लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ सभी बीपीएल परिवारों की महिलाओं को बिना किसी शर्त के मिलना चाहिए

**हिन्द जनपथ,चंडीगढ़ (ब्यूरो)।** हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना के नाम पर महिलाओं के साथ जो विश्वासघात किया है, वह बेहद निन्दनीय और शर्मनाक है। यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई थी, लेकिन आज भाजपा सरकार ने इसे शर्तों और अंकों की बेडियों में जकड़ दिया है। यह बात अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिससा से सांसद कुमारी सैलजा ने आज जारी एक बयान में कही। कुमारी सैलजा ने कहा कि सरकार अपने ही संकल्प से मुकर गई है। जिन महिलाओं को बिना भेदभाव आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए था, आज उनसे उनके बच्चों के नंबर पूछे जा रहे हैं। क्या अब माँ की योग्यता रिपोर्ट कार्ड से तय होगी। उन्होंने कहा कि 2100 की मामूली सहायता के लिए 80 प्रतिशत अंकों की शर्त लगाना गरीब, मजदूर और ग्रामीण महिलाओं के साथ सीधा अन्याय है। यह नीति महिला सशक्तिकरण नहीं, बल्कि

महिलाओं को अपमानित करने वाली सोच को दर्शाती है। सरकार यह भूल गई है कि हर माँ के हलात समान नहीं होते। संसाधनों की कमी, सरकारी स्कूलों की स्थिति और सामाजिक परिस्थितियों में पढ़ने वाले बच्चों से ऐसे परिणाम की अपेक्षा करना अमानवीय है।

कुमारी सैलजा ने स्पष्ट कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ सभी बीपीएल परिवारों की महिलाओं को बिना किसी शर्त के मिलना चाहिए, न कि अंकों और नियमों के जाल में फंसाकर उन्हें हक से वंचित किया जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार महिलाओं के साथ इसी प्रकार का व्यवहार करती रही, तो कांग्रेस पार्टी बुलंद आवाज में महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ेगी और उन्हें उनका अधिकार दिलाने के लिए पूरी मजबूती से खड़ी रहेगी। महिला सम्मान और एहसान नहीं, उनका अधिकार है और उस अधिकार से समझौता नहीं होने दिया जाएगा।



## पंजाब/हरियाणा

## समाधान शिविरों की जानकारी विभिन्न माध्यमों से आम जनता तक प्रभावी रूप से पहुंचाई जाए: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

● जिला उपायुक्त समाधान शिविरों में प्राप्त होने वाली शिकायतों को अपनी स्पष्ट टिप्पणी के साथ भेजे ● जब तक किसी शिकायत का पूर्ण समाधान नहीं हो जाता, तब तक उसे जिला स्तर पर पेंडिंग रखा जाए ● मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समाधान शिविर की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित, दिए निर्देश



**हिन्द जनपथ,चंडीगढ़ (ब्यूरो)।** हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि समाधान शिविरों की जानकारी विभिन्न माध्यमों से आम जनता तक प्रभावी रूप से पहुंचाई जाए, जिसमें लोगों को शिविरों के आयोजन का दिन और समय की पूरी जानकारी मिल सके, ताकि वे अपनी समस्याएँ दर्ज करवा सकें और उनका समाधान करवा सकें। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने यह निर्देश चंडीगढ़ में समाधान शिविर की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में दिए। बैठक में सभी जिला उपायुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि समाधान

शिविरों में प्राप्त होने वाली शिकायतों को जिला उपायुक्त अपनी स्पष्ट टिप्पणी के साथ आगे भेजें। साथ ही जब तक किसी शिकायत का पूर्ण समाधान नहीं हो जाता, तब तक उसे जिला स्तर पर पेंडिंग रखा जाए। बैठक में बताया गया कि जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक पिछले छह महीनों में कुल 17,699 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। समाधान शिविरों में तय समय सीमा में हल की गई शिकायतों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में भी समाधान शिविरों में आने वाली सभी शिकायतों का तय समय सीमा में निपटान सुनिश्चित करें। प्रदेश के सभी जिला उपायुक्त और उप-मंडल अधिकारी (नागरिक)

कार्यालयों में प्रत्येक सप्ताह सोमवार और वीरवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक समाधान शिविर आयोजित किए जाते हैं, जिनमें नागरिक अपनी समस्याओं से संबंधित शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि समाधान शिविरों में प्राप्त सभी शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शिविरों में आने वाले नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना जाए। यदि समाधान शिविरों में किसी भी स्तर पर अधिकारियों द्वारा लापरवाही पाई गई, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैठक

में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने जिला अम्बाला के एक गांव में पानी की निकासी से संबंधित समाधान शिविर में प्राप्त शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जिला उपायुक्त अम्बाला को इस समस्या के शीघ्र समाधान के लिए एक समिति गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि इस समिति में संबंधित विभाग के एक्सईएन, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) तथा मार्केट कमेटी का एक कर्मचारी शामिल किया जाए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री विवेक कालिया, श्री बी.बी. भारती सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

### 19वीं सर्कल नेशनल कबड्डी

#### प्रतियोगिता के लिए राज्य स्तरीय

#### चयन ट्रायल 05 जनवरी को पानीपत

#### के गांव सुताना में आयोजित

**हिन्द जनपथ, चंडीगढ़ (ब्यूरो)।** हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री एवं हरियाणा एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री कृष्ण लाल पंवार ने बताया कि एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 19वीं सर्कल नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता (पुरुष एवं महिला वर्ग) का आयोजन श्री गुरुद्वारा साहिब, बाजपुर, नैनीताल (उत्तराखंड) में 10 जनवरी 2026 से 12 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों की टीमें भाग लेंगी। उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए हरियाणा राज्य की पुरुष एवं महिला कबड्डी टीमों के चयन हेतु राज्य स्तरीय ट्रायल का आयोजन 05 जनवरी 2026 को गांव सुताना (मतलौडा), जिला पानीपत में किया जाएगा। ट्रायल के दौरान खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता, कौशल, तकनीक एवं प्रदर्शन के आधार पर चयन समिति द्वारा खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चयन प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी, निष्पक्ष एवं मेरिट के आधार पर होगी। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए कहा कि हरियाणा आज खेलों के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बन चुका है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार खिलाड़ियों के लिए बेहतर नीति खेले नीतियां लागू कर रही है। खेल नर्सरी, खेल अकादमियां, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, आधुनिक स्टेडियम और जिम्नेजियम का तेजी से निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार, सरकारी नौकरी, खेल कोटे में भर्ती, छात्रवृत्ति, स्पोर्ट्स फिट और उन्नत प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसी का परिणाम है कि ओलंपिक, एशियाई खेलों, राहमंद खेलों और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हरियाणा के खिलाड़ी लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कबड्डी हरियाणा की धरोहर और परंपरागत खेल है। गांव-गांव में कबड्डी के अखाड़ों और मैदानों का विकास किया जा रहा है ताकि ग्रामीण प्रतिभाएं उभरकर सामने आ सकें।

## एस.सी.भाईचारे की भलाई के लिए सब-प्लान की समीक्षा, 25 विभागों के साथ मंत्री डॉ. बलजीत कौर की अहम बैठक

● एस.सी. सब-प्लान के फंड तुरंत जारी कर लाभ ज़मीनी स्तर तक पहुँचाने के निर्देश ● अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित फंड केवल एस.सी. समुदाय पर ही खर्च किए जाएं : डॉ. बलजीत कौर



**चंडीगढ़।** मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने राज्य में अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आर्थिक भलाई के लिए लागू किए जा रहे अनुसूचित जाति सब-प्लान (एस.सी.एस.पी.) की प्रगति की समीक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक के दौरान एस.सी. सब-प्लान के तहत योजनाएं लागू कर रहे लाभभ 25 विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में डॉ. बलजीत कौर ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा एस.सी. सब-प्लान के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन योजनाओं के लिए निर्धारित राशि अभी तक खर्च नहीं हुई है, उनकी उपयोगिता में तेजी लाई जाए और राशि तुरंत जारी करवाई जाए, ताकि सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ज़मीनी स्तर तक लोगों तक पहुंच सके।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि एस.सी. सब-प्लान के तहत आरक्षित राशि का उपयोग केवल अनुसूचित जाति समुदाय की भलाई के लिए ही किया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही या गलत उपयोग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने विभिन्न विभागों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने विभागों द्वारा कवर किए जा रहे लाभार्थियों और गांवों की विस्तृत सूची सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक विभाग को उपलब्ध करवाएं, ताकि आरक्षित फंड का सही, पारदर्शी और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

डॉ. बलजीत कौर ने विभागों को अनुसूचित जाति समुदाय की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप नई, जन-हितैषी और अभिनव योजनाएं तैयार करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों के समग्र विकास, सशक्तिकरण और उनके

जीवन स्तर में सुधार के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रही है।

मंत्री ने एस.सी. सब-प्लान की प्रगति की निरंतर समीक्षा के लिए जल्द किसी भी प्रकार की लापरवाही को बात भी कही, ताकि अनुसूचित जातियों से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन और अधिक सुचारू, समयबद्ध और प्रभावी बनाया जा सके।

इस बैठक में सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विकास प्रताप (आई.ए.एस.), एस.सी. सब-प्लान के नोडल विभाग सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक विभाग के प्रमुख सचिव श्री वी.के. मौना (आई.ए.एस.), निदेशक-सह-अतिरिक्त सचिव श्रीमती विष्मि भुक्षर (आई.ए.एस.), अनुसंधान अधिकारी डॉ. लिवप्रोत कौर तथा श्री कमलजीत सिंह भी उपस्थित रहे।

### देवी मां के चरणों में नमन से किया डीजीपी हरियाणा के कार्यकाल का शुभारंभ

#### डीजीपी अजय सिंघल ने पहले ही दिन माता मनसा देवी के दर्शन किए

**चंडीगढ़/पंचकूला।** हरियाणा के नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक (छत्रक) श्री अजय सिंघल ने अपने कार्यकाल के प्रथम दिन आस्था, संस्कार और विनम्रता का भाव प्रकट करते हुए पंचकूला स्थित प्रसिद्ध श्री माता मनसा देवी मंदिर में दर्शन कर पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर वे अपने पिता श्री ओम प्रकाश सिंघल, धर्मपत्नी सीमा सिंघल व पुत्र आदित्य सिंघल के साथ मंदिर पहुंचे और माता रानी का आशीर्वाद लेकर प्रदेश की सेवा के अपने दायित्व का शुभाभिन किया।

मंदिर परिसर में श्री सिंघल ने विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेश में शांति, सुशासन और समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि जनसेवा, कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदारी के साथ पुलिस व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। आस्था और संस्कार से जुड़े इस भावुक क्षण में उनका



परिवार भी साथ रहा, जो उनके सार्वजनिक जीवन में पारिवारिक मूल्यों और सांस्कृतिक परंपराओं की गहरी जड़ों को दर्शाता है।

उल्लेखनीय है कि डीजीपी पद का कार्यभार संभालने के पहले ही दिन माता के दरबार में शीश नवाकर आशीर्वाद लेना उनके व्यक्तित्व की सादगी, श्रद्धा और भारतीय परंपराओं के प्रति सम्मान

को दर्शाता है। यह संदेश भी देता है कि वे अपने दायित्व की शुरुआत आध्यात्मिक संबल और नैतिक संकल्प के साथ कर रहे हैं। मंदिर दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं एवं उपस्थित लोगों ने भी उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं। यह अवसर प्रशासनिक जिम्मेदारी और सांस्कृतिक मूल्यों के सुंदर समन्वय का प्रतीक बना।

### पंचकूला जोनकी उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की कार्यवाही 05, 12, 19


#### और 27 जनवरी को यूएचबीवीएन के मुख्यालय, पंचकूला में की जाएगी

**हिन्द जनपथ, चंडीगढ़ (ब्यूरो)।** उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) उपभोक्ताओं को विध्वंसनीय, अस्थी वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किये गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके। बिजली निगम के प्रवक्ता ने एक जानकारी देते हुए बताया कि जौनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में 1 घंटा रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों नामतः कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल और यमुनानगर के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 05, 12, 19 और 27 जनवरी को जौनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, पंचकूला में उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से सम्बंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, खराब हुए मीटरों से सम्बंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निपटान किया जाएगा।

#### मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

#### होशियारपुर में लहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज

चंडीगढ़। पंजाब सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस समारोहों का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। पटियाला में राज्य स्तरीय समारोह होगा जहां पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया राष्ट्रीय ध्वज लहराएंगे तथा माई पारट से सलामी लेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान 26 जनवरी, 2026 को होशियारपुर में राष्ट्रीय ध्वज लहराएंगे जबकि पंजाब विधान सभा के स्पीकर स. कुलतार सिंह संधवां संगरूर तथा पंजाब विधान सभा के डिप्टी स्पीकर श्री जय कृष्ण रोड़ी बरनाला में राष्ट्रीय ध्वज लहराएंगे। विभिन्न जिलों में होने वाले समारोहों तथा मुख्य मेहमानों के विवरण जारी करते हुए प्रवक्ता ने बताया कि वित्त, योजना एवं कंराधान तथा आबकारी मंत्री श्री हरपाल सिंह वीमा बटिंडा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत तथा छपाई एवं लेखन सामग्री, सुशासन प्रशासन तथा सूचना एवं तकनीक तथा रोजगार उत्पत्ति एवं प्रशिक्षण मंत्री श्री अमन अरोड़ा पठानकोट, सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर फिरोजपुर, उद्योग एवं वाणिज्य, निवेश एवं प्रोत्साहन, प्रवासी भारतीय मामले तथा ऊर्जा मंत्री श्री संजीव अरोड़ा फरीदकोट, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा मेडिकल शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री तथा चुनाव मंत्री डॉ. बलबीर सिंह शहीद भगत सिंह गोर, राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता तथा मकान निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप सिंह मुंडियां अमृतसर, खाद्य सविल सलाहज्ञ एवं उपभोक्ता मामले, वन तथा वन्य जीव मंत्री श्री लाल चंद मालेरकोटला, परिवहन तथा जेल मंत्री श्री लालजीत सिंह भुक्षर श्री मुक्तसर साहिब, तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा तथा सूचना एवं लोक संपर्क मंत्री श्री हरजोत सिंह बैस फाजिल्का, लोक निर्माण मंत्री श्री हरभजन सिंह लुधियाना, खनन एवं भूविज्ञान, जल स्रोत तथा भूमि एवं जल संरक्षण मंत्री श्री बरिंदर कुमार गोयल जालंधर, पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामले, श्रम, आतिथ्य तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री श्री तरुनप्रीत सिंह सौंद रूपनगर, स्थानीय निकाय तथा संसदीय कार्य मामलों संबंधी मंत्री डॉ. रवजोत सिंह मानसा में, कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं डेयरी विकास तथा फूड प्रोसेसिंग मंत्री श्री गुरमीत सिंह खुड्डियां तरनतारन में तथा रक्षा सेवाएं कल्याण, स्वतंत्रता संग्रामी तथा बागबानी मंत्री श्री मोहिंदर भगत एस.एस. नगर में राष्ट्रीय ध्वज लहराएंगे।



beautifully engineered™

## एक्सिकॉम टेली-सिस्टम्स लिमिटेड

सीआईएन: L64203HP1994PLC014541

पंजीकृत कार्यालय: 8, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, चंबाघाट, सोलन, हिमाचल प्रदेश-173213, भारत

टेलीफोन: +91 124 6615 200, ईमेल: investors@exicom.in, वेबसाइट: www.exicom.com

---

### पोस्टल बैलेट की सूचना

एक्सिकॉम टेली-सिस्टम्स लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी ने शुक्रवार, 02 जनवरी, 2026 को ईमेल के माध्यम से उन सभी सदस्यों को पोस्टल बैलेट नोटिस ("नोटिस") भेजने का काम पूरा कर लिया है, जिनके नाम कट-ऑफ तिथि यानी **मंगलवार, 30 दिसम्बर, 2025** को डिपॉजिटरी द्वारा प्रबंधित सदस्यों के रजिस्टर/लामभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं और जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) और/या नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") (सामूहिक रूप से "डिपॉजिटरी") के रूप में संदर्भित) के पास पंजीकृत हैं।

पोस्टल बैलेट कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 108 तथा 110 एवं अन्य प्रयोज्य प्रावधानों, यदि कोई हो, और कंपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 ("**एमसीए परिपत्र**") के साथ पठित यथासंशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014, ("**प्रबंधन नियम**"), भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैलेट कर सचिवीय मानक ("**एसएस-2**"), यथासंशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 ("**सूचीबद्धता विनियम**") और कोई अन्य लागू कानून, नियम और विनियम (इस समय लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) के अनुसार संचालित किया जा रहा है, जिसके द्वारा कंपनी अपने सदस्यों से नीचे संलग्न निम्नलिखित प्रस्तावों के लिए केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ("**रिमोट ई-वोटिंग**") से मतदान करके पोस्टल बैलेट के जरिए अनुमोदन मांग रही है।

क्र.स.	संकल्प का प्रकार	संकल्प(यों) का विवरण
1.	साधारण संकल्प	कंपनी की एक असूचीबद्ध मैटीरियल अनुबंधी कंपनी एक्सिकॉम पावर सॉल्यूशंस बी.वी. के साथ मैटीरियल संबंधी पार्टी ट्रांजेक्शन के लिए अनुमोदन।
2.	साधारण संकल्प	एक्सिकॉम पावर सॉल्यूशंस बी.वी., नीदरलैंड और ट्रिटियम पावर सॉल्यूशंस पीटीवाई लिमिटेड, ऑस्ट्रेलिया, कंपनी की अनुबंधी कंपनियों के बीच मैटीरियल संबंधित पार्टी ट्रांजेक्शन के लिए अनुमोदन।
3.	साधारण संकल्प	कंपनी की अनुबंधी कंपनियों एक्सिकॉम पावर सॉल्यूशंस बी.वी., नीदरलैंड और ट्रिटियम पावर सॉल्यूशंस इंक., यूएसए के बीच मैटीरियल संबंधी पार्टी ट्रांजेक्शन के लिए अनुमोदन।
4.	साधारण संकल्प	ट्रिटियम पावर सॉल्यूशंस पीटीवाई लिमिटेड, ऑस्ट्रेलिया और ट्रिटियम पावर सॉल्यूशंस इंक., यूएसए, कंपनी की अनुबंधी कंपनियों के बीच मैटीरियल संबंधी पार्टी ट्रांजेक्शन के लिए अनुमोदन।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस संबंध में निम्नलिखित जानकारी और निर्देशों पर ध्यान दें:

- कोई व्यक्ति जो मंगलवार, 30 दिसम्बर, 2025 तक सदस्य नहीं है, वह इसे केवल सूचना के उद्देश्य से नोटिस पर विचार करेगा।
- एमसीए परिपत्रों के अनुसार, पोस्टल बैलेट फॉर्म और प्रीपेड बिजनेस रिप्लाई लिफाफे के साथ नोटिस की भौतिक प्रतियां किसी भी सदस्य को नहीं भेजी जा रही हैं। तदनुसार, पोस्टल बैलेट के माध्यम से किए जाने वाले विशेष व्यवसाय की वस्तुओं के संबंध में सदस्यों की सहमति (समर्थन में) या असहमति (विरोध में) केवल रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से होगी।
- यह नोटिस कंपनी की वेबसाइट [www.exicom.com](http://www.exicom.com) पर भी उपलब्ध है और इसे स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात् बीएसई लिमिटेड ("**बीएसई**") [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("**एनएसई**") [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) से भी एक्सेस किया जा सकता है, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।
- कंपनी ने रिमोट ईवोटिंग की सुविधा के लिए प्राधिकृत एजेंसी के रूप में 'नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड' ("**एनएसडीएल**") की सेवाएं ली हैं। इसलिए, यह नोटिस एनएसडीएल की वेबसाइट [www.evotingnsdl.com](http://www.evotingnsdl.com) पर भी उपलब्ध है।
- डिमेंट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, उनके लिए ई-वोटिंग की प्रक्रिया के निर्देश नोटिस के 'नोट्स' अनुभाग में दिए गए हैं।
- जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने द्वारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में धारित शेयरों के संबंध में डिपॉजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से डिपॉजिटरी के साथ इसे पंजीकृत करें।
- सदस्यों से अनुरोध है कि वे रिमोट ई-वोटिंग/डिपॉजिटरी और/या कंपनी के साथ प्रत्येक पत्राचार में अपने फोलियो नंबर, डीपी आईएन और कलार्ड आईडी का उल्लेख करें।
- ई-वोटिंग सुविधा निम्नलिखित अवधि के दौरान उपलब्ध होगी:

ई-वोटिंग प्रारंभ होने की अवधि	<b>शनिवार, 3 जनवरी, 2026 को 9:00 बजे पूर्व. (भा.मा.स.)</b>
ई-वोटिंग समाप्ति की अवधि	<b>रविवार, 1 फरवरी, 2026 को 5:00 बजे अप. (भा.मा.स.)</b>

सदस्यों से अनुरोध है कि वे रिमोट ई-वोटिंग के संबंध में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें:

(क) वह व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि यानी 30 दिसम्बर, 2025 को डिपॉजिटरी द्वारा प्रबंधित सदस्यों के रजिस्टर/लामभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही उपर्युक्त अवधि के दौरान रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

(ख) इसके बाद एनएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग सुविधा को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और ई-वोटिंग अवधि के समापन के बाद मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ग) एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट डाल दिए जाने के बाद, उसे बाद में इसे बदलने या फिर से वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(घ) निदेशक मंडल ने सीएस मो. जफर, (सदस्यता संख्या एफ9184), प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, मेसर्स एमजेड एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव के भागीदार को ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पोस्टल बैलेट आयोजित करने के लिए सवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

10. पोस्टल बैलेट द्वारा ई-वोटिंग के परिणाम 3 फरवरी, 2026 तक घोषित कर दिए जाएंगे और कंपनी की वेबसाइट [www.exicom.com](http://www.exicom.com), बीएसई की वेबसाइट [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) और एनएसई की वेबसाइट [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) और एनएसडीएल की वेबसाइट [www.evotingnsdl.com](http://www.evotingnsdl.com) पर सवीक्षक की रिपोर्ट के साथ प्रदर्शित किए जाएंगे।

11. रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति किसी भी प्रश्न या शिकायत के मामले में, सदस्य [www.evotingnsdl.com](http://www.evotingnsdl.com) के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध **Frequently Asked Questions ("FAQs")** तथा **e-voting user manual for shareholders** देख सकते हैं या 022-48867000 पर कॉल कर सकते हैं या [evoting@nsdl.com](mailto:evoting@nsdl.com) पर लिख सकते हैं।

**एक्सिकॉम टेली-सिस्टम्स लिमिटेड के लिए**

हस्ता./—

दिनांक: 3 जनवरी, 2026

स्थान: गुरुग्राम

**संगीता कर्नाटक**

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी